तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए। 18
21/1/2021	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. [illegible] निवासी [illegible] किन्तु जरिये रजिस्टर्ड [illegible] अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा की जाती है। विपक्षी संख्या 4 का प्रतिनिधि उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया। बहस सुनी गई। विपक्षीगण द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रकट होता है कि विपक्षीगण द्वारा [illegible] के माध्यम से कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में आता है विवादित आराजियात प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है यदि भूमि का हस्तान्तरण किसी व्यक्ति को हो जाता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही कारित होगी। अतः प्रार्थी का प्रा.प. 212 RTA स्वीकार किया जाता है तथा आदेश आवेदिका दि. 10/12/2020 से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है। प्रतिवादीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा तेजपुरा पटवार मण्डल नन्नाणा की खातेदारी खसरा 03 की खसरा नं. 620, 623, 628, 631, 633 कुल कितां [illegible] रकबा 0.9600 हैक्टेयर [illegible] भू भाग को रहन, बय, [illegible], हस्तान्तरण नहीं करें न करावें। यथास्थिति एव →	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:24:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

→

मौके की यथास्थिति कायम रखाये निर्णय करके न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रेकर्ड मूल वाद की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:24:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner